संख्याः-19/2026/356ई-2/तेरह-2026-1659257

प्रेषक,

दयाराम

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः:दिनांकः 30 अप्रैल, 2026

विषयः-मेसर्स डी.सी.एम., श्रीराम लिमिटेड डिस्टिलरी यूनिट, हरियावां जनपद-हरदोई की क्षमता 330 कार्यकारी दिवस से बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस करते हुए आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याःजी-98/दो-प्रा.डी.-189/मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम हरदोई, दिनांक 25-02-2026, पत्र संख्याःजी-108/दो-प्रा.डी.-189/मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम हरदोई, दिनांक 25-03-2026 एवं पत्र संख्याःजी-04/दो-प्रा.डी.-189/मेसर्स डी.सी.एम. श्रीराम हरदोई, दिनांक 22-04-2026 तथा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 10-04-2026 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्याः355ई-2/तेरह-2026-1659257, दिनांक 29-04-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 25-02-2026, 25-03-2026 एवं 22-04-2026 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 एवं उ.प्र. आबकारी (आसवनी की स्थापना)(पन्द्रहवॉ संशोधन) नियामवली,2020 के क्रम में मेसर्स डी.सी.एम., श्रीराम लिमिटेड डिस्टिलरी यूनिट, हरियावां जनपद-हरदोई की वर्तमान क्षमता 160 कि.ली. प्रतिदिन आर.एस. या ई.एन.ए. यथावत् रखते हुए अर्थात वर्ष में 330 कार्यकारी दिवस को बढ़ाकर 350 कार्यकारी दिवस करते हुए आसवनी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 528 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 560 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत पेय क्षमता 111.38 लाख लीटर (19.89 प्रतिशत) वार्षिक तथा औद्योगिक क्षमता 448.62 लाख लीटर (80.11 प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(झ) एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 2020 का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) आसवनी द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों एवं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इकाई द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(5) आसवनी के आस-पास के क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता कम है। अतः आसवनी के आस-पास गन्ना एवं तद्नुसार वैध शीरे की प्रर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही बढ़े हुये कार्यदिवस/क्षमता पर इकाई के संचालन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा।

(6) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों /नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

भवदीय,
(दयाराम)
उप सचिव।

संख्या:-19/2026/356(1)ई-2/तेरह-2026-1659257 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दयाराम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।